यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार**, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार**, के माह 09/2014 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक, श्री रवि शंकर एवं श्री अजय बहुगुणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.10.2020 से 09.10.2020 तक श्री दानिश इकबाल,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविन्द्र कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.09.2014 से 23.09.2014 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2007 से 08/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2015 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों के लिए डेरी को कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में विकसित कर अतिरिक्त आय के अवसर रोजगार सृजन उपलब्ध कराना। दुग्ध समितियों का गठन कराना। राज्य के उत्पादकों एवं उपभोगताओं के हितों को सुरक्षित करने हेतु क्षेत्र में सहकारी दुग्ध समितियों को प्रोत्साहित सुदृढ़ एवं विनियमित जनपदीय केंद्रीय सहकारी समितियों के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का परीक्षण कराना। दुग्ध उत्पादकों को समय समय पर पशुपालन चारा विकास दुग्ध उत्पादन स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आदि की नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
3. **कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त विकासखण्ड हरिद्वार जनपद क्षेत्र है।**

(ii) (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ में)

वित्त वर्ष	स्थापना		आधिक्य	बचत /समर्पण
	आवंटन	व्यय		
2015-16	4433697.00	4106275.00	-	327422.00
2016-17	5557600.00	4509475.00	-	1048125.00
2017-18	5805400.00	5670284.00	-	135116.00
2018-19	6363400.00	6313487.00	-	49913.00
2019-20	327000.00	282362.00	-	44638.00
2020-21(06/2020)	139000.00	14962.00	-	124038.00

(ब) केन्द्र/राज्य पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु में)

योजनाओ का नाम	**वित्त वर्ष**	**गैर-स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत /समर्पण**
		आवंटन	**व्यय**		
1) जिलायोजना 2) गंगा गाययोजना 3) दुग्धमूल्य प्रोत्साहन योजना 4) महिला डेरी योजना 5) डेरी विकास योजना 6) साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना 7) पशु चारा परिवहन अनुदान योजना 8) दुग्धशाला का सुदृढीकरण	2015-16	2236000.00	2236000.00	-	00.00
	2016-17	2308000.00	2308000.00	-	00.00
	2017-18	17062940.00	17012540.00	-	50400.00
	2018-19	19548251.00	19548251.00	-	00.00
	2019-20	20238339.00	20038339.00	-	200000.00
	2020-21	942000.00	942000.00	-	00.00

(ii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय/ योजनांतरगत व्यय को सम्मलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1) सचिव
2) निदेशक
3) संयुक्त निदेशक
4) उप निदेशक
5) सहायक निदेशक
6) वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक
7) दुग्ध निरीक्षक
8) राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, को हरिद्वार आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2016, 03/2018, 03/2019 व 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v)लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर सं01- दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दुग्ध समितियों को वर्ष 2017-18 तक ₹ 22.86 लाख भुगतान से वंचित रखना।

इकाई मे राज्य सैक्टर योजना के अंतर्गत दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना वर्ष 2014 से संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन करना था।

शासनादेश संख्या: पत्रांक: पी-2094/नियो./दु.मू.प्रोत्साहन यो.पत्रा./2014-15 दिनांक 12 जनवरी, 2015 के अनुसार दुग्ध उत्पादकों को दी जानी वाली प्रोत्साहन धनराशि निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के आधार पर दी जानी थी। (1) प्रदेश के समस्त जनपदों की दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को ₹4.00 प्रतिलीटर की दर से प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जायेगा। (2)यह धनराशि दुग्ध उत्पादकों को वर्तमान में दिये जा रहे दुग्ध क्रय मूल्य के अतिरिक्त प्रदान की जाएगी।(3) प्रोत्साहन राशि उन दुग्ध समितियों को उपलब्ध नही करायी जाएगी, जिनके द्वारा कुल उपार्जित दुग्ध में से 5%से अधिक की स्थानीय बिक्री की गयी हो। यह शर्त इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्मित दिशा-निर्देश की तिथि दिनांक 07 जनवरी, 2015 से प्रभावी मानी जायेगी। (4) प्रोत्साहन राशि दुग्ध उत्पादकों द्वारा समिति में उपलब्ध कराएं गये दुग्ध के आधार पर प्रदान की जायेगी न कि दुग्ध समिति द्वारा दुग्ध संघ में उपलब्ध कराएं गये दुध के आधार पर। (5)दुग्ध समितियों में उपार्जित दूध कि गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु दूध समिति एवं सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराएं गये दूध कि गुणवत्ता कि आधार पर निम्नुसार प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जायेगा-

वसा सहित ठोस का प्रतिशत	**प्रोत्साहन राशि कि दर(₹ प्रतिलीटर)**
8.00% व उससे अधिक	**₹ 4.00**
7.50% से 7.99% तक	**₹ 3.00**

वर्ष विभिन्न शासनादेश के द्वारा वर्ष 2016-17 में ₹59.12 लाख, वर्ष 2017-18 में ₹ 95.16 लाख तथा 2018-19 में ₹127.60 लाख का आवंटन इस शर्त के साथ किया गया कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाए, जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है, साथ ही आवंटित की जा रही धनराशि हेतु वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 30.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा लाभार्थियो कि सूची सहित निदेशालय/संपर्क कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करे।

योजना से संबन्धित अभिलेखो का तथा दुग्ध संघ के Profit and Loss Account तथा Balance Sheet के अवलोकन मे पाया गया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि व उसके सापेक्ष व्यय एवं Current Liabilities कि स्थिति निम्न है:

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रम संख्या	बजट अनुसार प्राप्त धनराशि	व्यय	अवशेष धनराशि	Particulars of Current Liabilities as per Balance sheet.	Current Liabilities as per Balance sheet. (चालू दायित्व)
2016-17	5912023	5912023	0	State Sector Grant (Milk Incentive)-2016-17-SCP	973442
				State Sector Grant (Milk Incentive)-SCP-2014-15	604589
				Total	1578031
2017-18	9515940	9515940	0	तुलन पत्र से स्प्ष्ट नहीं है	----
2018-19	12760101	12760101	0	तुलन पत्र से स्प्ष्ट नहीं है	----

योजना की Balance Sheet की जांच में पाया गया कि योजना के अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की रोकड़ बही का रख रखाव नही किया जा रहा है तथा दुग्ध संघ की वर्तमान देनदारियाँ (Current Liabilities) वर्ष 2016-17 हेतु ₹15.78 लाख थी तथा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्या स्थिति थी तुलन पत्र से स्प्ष्ट नहीं है ।

आगे जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में वर्तमान देनदारियाँ (Current Liabilities) बढ़कर ₹22.86 लाख हो गयी थी। इस प्रकार लेखापरीक्षा में पाया गया है कि गरीब लाभार्थियों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन वर्ष 2017-18 तक कुल ₹22.86 लाख से वंचित रखा गया है।

इंगित किए जाने पर की क्या वर्ष 2016-17 में दर्शायी गयी Current Liabilities क्या आगामी वर्षों में निस्तारित कर दी गयी है। तथा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कोई Current Liabilities देय है।

विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों कि पुष्टि करते हुए अपने जवाब में कहा कि लेखापरीक्षा के समस्त प्रश्नों का शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिये जायेंगे। जो लेखापरीक्षा समापन तिथि के तीन दिन के पश्चात भी उपलब्ध नही करवाए गए।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर02- नियमो एवं प्रविधानों के विपरीत वित्तीय वर्ष की समाप्ती के बाद धनराशि का समर्पण ₹ 16,77 लाख ₹59.99 लाख की धनराशि का अनुपयोगी रहना तथा शासन को अवास्तविक व्यय प्रेषित किया जाना।

डेरी विकास विभाग का मूल उदेश्य लघु एवं सीमांत कृषकों को रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाना तथा प्रति पशु दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, समितियों के माध्यम से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करते हुए नगरीय क्षेत्रों में दुग्ध एवं दूध पदार्थ का विक्रय कराना है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों के लिए डेरी को कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में विकसित करना, उपभोगताओं को उत्तम गुणवत्ता के दूध व दूध पदार्थ उचित दर पर उपलब्ध करवाना और दूध उत्पादकों को समय- समय पर पशु पालन, चारा विकास, दुग्ध उत्पादन आदि की नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराना है। सहायक निदेशक डेरी विकास हरिद्वार के प्राधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 05 योजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है जिसके लिए राज्य एवं जिला योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि को कोषागार से आहरित कर हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया जाता है तथा समस्त योजनाओं का संचालन/निष्पादन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा किया जाता है इकाई द्वारा केवल योजनाओ से संबन्धित धनराशि हस्तांतरित करना तथा दुग्ध संघ से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं अनुश्रवन एवं मूल्यांकन करना होता है।

सहायक निदेशक डेरी विकास हरिद्वार के बजट पत्रावली एवं संबन्धित लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इकाई को आवंटित राशि मे से केवल स्थापना मद की राशि का उपयोग इकाई द्वारा किया जाता है और केवल उसी मद मे अवशेष राशि का समर्पण किया जाता है शेष योजनाओं की राशि दुग्ध संघ को हस्तांतरित कर सम्पूर्ण राशि का उपयोग दर्शाया जाता है जबकि योजनाओ से संबन्धित उपयोग प्रमाण पत्र की जांच मे पाया गया की योजनाओ की अवशेष राशि की दुग्ध संघ द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ती के एक से आठ माह बाद कोषगार को चालान के माध्यम से समर्पित किया गया था जो पूर्णतः अनुचित था इससे यह भी परिलक्षित होता है कि इकाई को आवंटित बजट पर इकाई/विभाग का नियंत्रण नहीं था तथा शासन को प्रेषित बजट समर्पण आवास्तविक आकड़ों पर आधारित था । इसके अतिरिक्त सहायक निदेशक, डेरी विकास, हरिद्वार द्वारा गैर स्थापना मद मे प्रस्तुत बजट तथा दुग्ध संघ द्वारा प्रेषित बजट आवंटन एवं व्यय विवरण मे भी भिन्नता थी, जो त्रुटिपूर्ण लेखांकन का परिचायक था। सहायक निदेशक डेरी विकास विभाग हरिद्वार जनपद मे वर्ष 2019-20 के पूर्व केवल चार योजनाओ का (जिला योजना, दुग्ध प्रोत्साहन योजना, गंगा गाय महिला डेरी योजना तथा महिला डेरी योजना) संचालन हो रहा था तथा वर्ष 2019-20 दो नयी योजना (पशु चारा परिवहन योजना व साइलेज एवं दुधारू पशु योजना) हेतु बजट आवंटन हुआ था, डेरी विकास हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत विगत तीन वर्षो का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण निम्नवत था-

(धनराशि ₹ लाख मे)

वर्ष	स्थापना		अवशेष /समर्पण	गैर स्थापना		अवशेष /समर्पण
	आवंटन	व्यय		आवंटन	व्यय	गैर स्थापना मद मे समर्पित राशि
2017-18	58.05	56.70	1.35	170.63	170.13	0.50
2018-19	63.63	63.13	.50	195.48	195.48	0.00
2019-20	3.27	2.82	0.45	202.38	200.38	2.00
	124.95	122.65	2.30	568.49	565.99	2.5

उपर्युक्त विवरण से परिलक्षित है कि विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा कार्यालयी कार्यों व वेतन एवं भत्तो पर स्थापना मद मे ₹122.65 लाख की धनराशि का व्यय किया गया था, तथा गैर स्थापना मद मे ₹565.99 लाख की धनराशि का व्यय दर्शाया गया था परन्तु दुग्ध संघ द्वारा प्रेषित आकडे भिन्न व निम्नवत थे -

(धनराशि ₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटित राशि	दुग्ध संघ को हस्तांतरित राशि	दुघ संघ द्वारा व्यय	दुग्ध संघ के पास अवशेष/बैंक खातो मे अवशेष	दुग्ध संघ द्वारा शासन को समर्पित राशि
2017-18	जिला योजना	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00
	दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना	95.16	95.16	91.96	0.00	3.20
	गाय गंगा महिला डेरी योजना	25.50	25.50	25.00	0.50	0.00
	महिला डेरी योजना	25.55	25.55	23.85	0.00	1.69
योग		178.73	178.73	173.33	0.5	4.89
2018-19	जिला योजना	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
	दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना	136.76	136.76	122.95	8.92	4.89
	गंगा गाय महिला डेरी योजना	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
	महिला डेरी योजना	26.75	26.75	22.44	0.00	4.31
योग		204.64	204.64	186.52	8.92	9.2
2019-20	जिला योजना	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
	दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना	88.36	88.36	87.68	0.00	.68
	एन.सी.डी.सी.	50.57	50.57	0.00	50.57	0.00
	महिला डेरी योजना	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00
	साइलेज एवं दुधारू पशु योजना	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
	पशुचारा परिवहन योजना	9.47	9.47	9.47	0.00	0,00
	प्रबंधकीय अनुदान	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
योग		202.38	202.38	149.13	50.57	2.68
महा योग		585.75	585.75	508.98	59.99	16.77

उक्त विवरण से परिलक्षित है कि डेरी विकास विभाग द्वारा गैर स्थापना मद मे ₹ 568.49 लाख की प्राप्ति ₹565.99 लाख का व्यय तथा मात्र ₹2.50 लाख अवशेष दर्शया गया था जबकि दुग्ध संघ द्वारा कुल ₹585.75 लाख की प्राप्ति ₹508.98 लाख का व्यय ₹59.99 लाख अवशेष एवं ₹16.77 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के बाद तक समर्पित किया गया था, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि लेखकन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण एवं अवास्तविक आकड़ों पर आधारित थी। वर्ष 2019-20 मे एन॰सी॰डी॰सी॰ मद मे प्राप्त राशि ₹50.57 लाख की धनराशि का तथा प्रबंधकीय अनुदान मद मे प्राप्त राशि ₹ 2.00 लाख का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था तथा कुल ₹ 59.99 लाख की धनराशि का अनुपयोगी थी जिसके परिणाम स्वरूप योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी जो जनहित की हानी थी।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा अन्य बिन्दुओं पर तथ्यपरक एवं संतोषजनक उत्तर नहीं दिया अतएव नियमो एवं प्रविधानों के विपरीत वित्तीय वर्ष की समाप्ती के बाद ₹16.77 लाख धनराशि का समर्पण करने एवं ₹ 59.99 लाख की धनराशि का अनुपयोगी रहना तथा शासन को अवास्तविक आंकड़े प्रेषित करने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

ए.एम.जी.-I/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-37/2020-21

STAN

प्रस्तर01- जिला योजना के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्रों में रुपये तीस हजार की विसंगति एवं ₹59.67 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त।

(क) जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण के अन्तर्गत चलाए गए कार्यक्रम में तकनीकी निवेश मद के अन्तर्गत, (विविध व्यय मद एवं सहायक निदेशक हेतु फील्ड पर्यवेक्षण मद को छोड़कर) समिति स्तर से दुग्ध उत्पादकों को वर्गवार (सामान्य,एस0सी0एस0पी0 व टी0एस0पी0) वितरित किये गये अनुदान के अभिलिखो की छायाप्रति संघ द्वारा सहायक निदेशक को अनुदान मांग के साथ प्रेषित कि जाएगी जिसके आधार पर सहायक निदेशक द्वारा अनुदान राशि का वितरण किया जायेगा। जिला योजना की मार्ग दर्शिका के अनुसार बिन्दु 2.5 के अनुसार विविध व्यय जनपदो में विभिन्न योजनओं के संचालन, क्रियान्वयन पर्यवेक्षण /निरीक्षण आदि कार्यों में सहायक निदेशक कार्यालय के स्तर पर प्रयोगार्थ विभिन्न स्टेशनरी, लेखन सामग्री, कंप्यूटर अभिरक्षण एवं कार्यालय स्तर पर होने वाले अन्य विविध व्यय हेतु अधिकतम ₹30000.00 प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा जिसका प्रस्ताव/प्रविधान आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

योजना से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि जिला सेक्टर योजनाओं को वर्षवार आवंटित की गयी धनराशि में सहायक निदेशक, डेयरी विकास विभाग को विविध व्यय हेतु धनराशि (₹30000.00 प्रतिवर्ष) आवंटित की गयी थी। जिसका उपयोग इकाई (सहायक निदेशक डेयरी विकास विभाग हरिद्वार) द्वारा किया जाना था। आगे जांच में पाया गया कि ₹30000.00 की धनराशि का उपयोग इकाई द्वारा ही कार्यालय के विविध व्यय स्टेशनरी, लेखन सामग्री, कंप्यूटर अभिरक्षण इत्यादि हेतु किया जा रहा था परन्तु उसका उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध संघ द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था।

(ख) इसी प्रकार इकाई मे राज्य सैक्टर योजना के अंतर्गत गंगा गाय महिला डेरी योजना वर्ष 2014-15 से संचालित की जा रही है, जिसका उद्देशय ग्राम स्तर पर गठित दुग्ध सहकारी समितियों की महिला सदस्यो को आर्थिक रूप स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से एक (01) संकर नस्ल की दुधारू गाय उपलब्ध कराना है। इस हेतु उन्हे बैंक ऋण, अनुदान व पशु बीमा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। तथा जिला सैक्टर योजना के अन्तर्गत दुग्ध की सतत वृद्धि करने हेतु तकनीकी निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, रियायती दर पर संतुलित आहार, पशु स्वास्थ्य एवं चारा विकास संबंधी सेवाएँ ग्राम स्तर पर प्रदान की जा रही है योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि के दिशा निर्देशों के अनुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियो की सूची सहित शासन एवं नियोजन को ऊपलब्ध कराया जाना चाहिए।

आगे जांच में पाया गया की इकाई द्वारा राज्य सैक्टर योजना एवं जिला सैक्टर योजना के अंतर्गत दुग्ध संघ को आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नही करवाये गये थे, जिनका विवरण निम्नवत है-

वित्तीय वर्ष	**प्राप्त धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**अवशेष धनराशि**	**उपयोगिता प्रमाण पत्रप्राप्त/ अप्राप्त**
राज्य सैक्टर योजना				
2014-15	10.87	10.50	0.37	अप्राप्त
2016-17	22.67	22.67	00.00	अप्राप्त
जिला सैक्टर योजना				
2019-20	26.50	26.50	00.00	अप्राप्त
योग	**60.04**	**59.67**	**0.37**	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए प्रतिउत्तर में बताया गया की जिला योजना के अन्तर्गत विविध व्यय की धनराशि दुग्ध संघ द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र में त्रुटिवश दर्शायी गयी है, तथा राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत ₹33.17 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किए गये थे, एवं जिला सैक्टर योजना के अन्तर्गत ₹26.50 लाख (कुल ₹59.67 लाख) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर शीघ्र ही प्रेषित कर दिये जाएंगे।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है, अतः जिला योजना के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्रों में रुपये तीस हजार की विसंगति एवं कुल ₹59.67 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त होने के कारण प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**
37/2014-15	शून्य	प्रस्तर संख्या 01 और 02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
37/2014-15	भाग दो-2 (ब) प्रस्तर संख्या-01 एवं 02	अप्रस्तुत	यथावत	इकाई द्वारा प्रतिउत्तर में बताया गया कि प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित कर दी जाएगी।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख:

(i) विगत लेखापरीक्षा प्रस्तर के अनिस्तारित अनुपालन आख्या

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	श्री डी0डी0के0 गुप्ता	सहायक निदेशक	01.09.2009 से 31.08.2015 तक
2.	श्री अभिनव नौटियाल		08.09.2015 से 22.12.2015 तक
3.	श्री पियूष आर्य		23.12.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/ए0एम0जी0-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, "महालेखाकर भवन" कौलगढ़, देहारादून-248195** को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

एएमजी-I